

**फ्लेक्सीबांड 18 – मनी मल्टीप्लायर बांड (2003 डी)विकल्प 'बी'-
25 अक्टूबर 2012 को मोचन**

फ्लेक्सीबांड 18 के लिए 25 फरवरी 2003 के ऑफर दस्तावेज के निबंधनों के अनुसार उपर्युक्त बांड में आपके निवेश 25 अक्टूबर 2012 को परिपक्व हो जाएंगे और उसके बाद कोई ब्याज देय नहीं होगा. बीएसई/एनएसई को भेजे गये नोटिस के अनुसार परिपक्वता राशि की अदायगी करने के उद्देश्य से 25/09/2012 से 24/10/2012 तक बुक-क्लोजर रहेगा.

2. आईडीबीआई बैंक लि. के बांडधारकों को अब मोचन के लिए मूल बांड सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है. मोचन राशि में मूलधन तथा ब्याज राशि शामिल होगी तथा यह 25 अक्टूबर 2012 के वारंट के जरिए सभी पंजीकृत बांडधारकों को भेजी जाएगी.

3. आयकर अधिनियम 1961 के तहत टीडीएस से संबंधित प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 2010 से टीडीएस के लिए पात्र उन सभी संव्यवहारों पर विनिर्दिष्ट दर की उच्च दर पर अथवा 20% पर कर की कटौती की जाएगी जहां, जिस व्यक्ति की राशि से कटौती की जानी है उसका स्थायी खाता संख्या (पीएएन) उपलब्ध नहीं है. उक्त प्रावधान के अनुसार. भुगतान पर टीडीएस की कटौती न करने के लिए धारा 197ए के अंतर्गत उस व्यक्ति, जिसकी राशि से कटौती की जानेवाली है, द्वारा घोषणा भी तभी मान्य होगी जब वह आवेदन पर अपनी पीएएन संख्या का उल्लेख करेगा. अतः सभी बांड धारकों को सूचित किया जाता है कि यदि उन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड की प्रति न दी हो तो वे उसे बांड श्रंखला के रजिस्ट्रार के पास भेज दें. टीडीएस छूट प्राप्त करने के लिए पात्र और इच्छुक बांड धारक वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए अपनी घोषणा पैन के साथ फॉर्म 15 जी / 15 एच (दो प्रतियों में) प्रस्तुत कर दें ,यदि अभी तक न की हो.

4. बांडधारक के नाम, पते व बैंक खाते में परिवर्तन, अवयस्क के वयस्क हो जाने के कारण उसकी हैसियत में परिवर्तन अथवा विवाह आदि के कारण नाम में परिवर्तन की सूचना (जन्म / विवाह प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रतियों के साथ) संबंधित फोलियो नम्बर का उल्लेख करते हुए रजिस्ट्रार अर्थात् कार्वी कम्प्युटरशेयर प्रा. लि., 17-24, विट्ठल राव नगर, माधापुर, हैदराबाद – 500 081(टेलीफोन: 040:23420818, फैक्स:040:23420814 ई मेल einward.ris@karvy.com) 25 सितंबर 2012 से पहले भेजी जाए. निवेशक मार्गदर्शन के लिए अतिरिक्त नंबर हैं: 022-22164385, 66553406 / 3407. बांडों के

अंतरण के मामले में अंतरिती को अंतरित बांड प्रमाणपत्र उक्त दिनांक से पहले रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करते हुए अपना नाम पंजीकृत कराना होगा.

5. आईडीबीआई बैंक लि. सार्वजनिक क्षेत्र का एक वाणिज्यिक बैंक है. जिसके पास 994 शाखाओं का एक व्यापक नेटवर्क है. इसने आईडीबीआई फिक्स्ड डिपॉज़िट योजना सहित विभिन्न जमा योजनाएं शुरू की हैं. इन तमाम वर्षों में बने लाभप्रद संबंधों को जारी रखने की दिशा में बैंक बांडधारकों से अनुरोध करता है कि वे फ्लेक्सीबांड की मोचन राशि बैंक की किसी भी जमा योजना में निवेश करने पर विचार करें. इस संबंध में किसी अतिरिक्त जानकारी के लिए बांडधारक बैंक की किसी भी शाखा से संपर्क कर सकते हैं.

6. आईडीबीआई बैंक बांडधारकों द्वारा बैंक में विश्वास जताने के लिए उन्हें पुनः धन्यवाद देता है और अपनी जमा योजनाओं के अंतर्गत एक सम्मानित जमाकर्ता के रूप में उनके साथ संबंध बनाये रखना चाहता है. बांडधारक कृपया अपना टेलीफोन नंबर, ई-मेल पता आदि सूचित करें ताकि उनसे शीघ्र संपर्क किया जा सके और साथ ही अपने पत्राचार में रजिस्टर्ड फोलियो नंबर (18एमएमबी XXXXXXX) का उल्लेख अवश्य करें.

शुभकामनाओं सहित.

भवदीय,

(पी.पाठक)

उप महा प्रबंधक
देशी संसाधन विभाग